Office Of The District Legal Services Authority, Deoghar

Phone No.06432-275496 Email; - deoghardlsa@gmail.com

DLSA/DEO/Letter No. 980 Dated: - 06.06.2019

From: - Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

To,

The Deputy Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
Ranchi.

Ref.: - Letter No. JHALSA/928 dated 21.03.2016.

Sir,

In compliance of above letter No., I am sending herewith the required information regarding details of programmes and other activities of the District Legal Services Authority, Deoghar for the month of May, 2019 including the programme relating to Legal-aid to poor and number of beneficiaries of different categories and alternative dispute Resolution Mechanisms- ADR Centers, Permanent Lok Adalats / Lok Adalats. No. of cases disposed off, no. of Lok Adalat held etc. during the Month of May, 2019

Activities of DLSA, Deoghar for the month of May, 2019

Legal-aid Beneficiaries

Sl. No	Month	No. of Persons benefited
1	May, 2019	10(Penal Advocate)

Legal Awareness Camp

Sl. No	Month	No. of Legal Awareness Camp	No. of Persons benefited in Awareness Camp
1	May, 2019	22	353

Lok Adalats (Monthly/ National/ Mega)

Sl. No	Month	Name of Lok Adalat	Date	Cases disposed (including pre-litigation)	Amount Settled (In Rs.)
1	May, 2019				
2		Monthly Lok Adalat	25.05.2019	43	1,36,340/-

Jail Adalats

Sl. No	Date	No. Case disposed off	No. of Jail imprisoner released
1	26.05.2019	Nil	Nil

Activities in DLSA

<u>May' 2019</u>

1. 01.05.2019– Legal Awareness Camp at Unorganised Daly Wages Labour Union on the occasion of On the occasion of "Labour Day".
2. 01.05.2019- Legal Awareness Camp at near court campus Sub-divisional Court, Madhupur.
3. 14.05.2019 to 16.05.2019- Training of Jai PLVs.
4. 26.05.2019- Legal Awareness Camp at Central Jail, Deoghar.
5. 26.05.2019- Legal Awareness Camp at Sub-Jail, Madhupur.
6. 31.05.2019- Legal Awareness Camp at Observation Home-cum-children Home, Deoghar.
7. 31.05.2019- Distribution of 25 child friendly books in Observation Home-cum-children's Home in view of JHALSA Letter no. 1325/2019 dated 07.05.2019.
8. 01.05.2019- Legal Awareness Camp at Manjhlitikur, Sarwan.
9. 04.05.2019- Legal Awareness Camp at Nawatai, Bandajori, Sarwan.
10. 05.05.2019- Legal Awareness Camp at Ranidih, Karon.
11. 11.05.2019- Legal Awareness Camp at Kharkana, Daundiya, Sarwan.
12. 15.05.2019- Legal Awareness Camp at Fulkari, Devipur.
13. 15.05.2019- Legal Awareness Camp at Fago, Margomunda.
14. 16.05.2019- Legal Awareness Camp at Ajabraidih, Deoghar.
15. 17.05.2019- Legal Awareness Camp at Sura, Narangi, Sarwan.
16. 19.05.2019- Legal Awareness Camp at Dhodhasa, Devipur.
17. 22.05.2019- Legal Awareness Camp at Saraiya, Mohanpur.
18. 26.05.2019- Legal Awareness Camp at Pokharia Khijuriya, Sonaraithari.
19. 26.05.2019- Legal Awareness Camp at Pokharia, Sonaraithari.
20. 26.05.2019- Legal Awareness Camp at Mararo, Fulkari, Devipur.
21. 27.05.2019- Legal Awareness Camp at Uphar, Sarath.
22. 28.05.2019- Legal Awareness Camp at Karanjo, Margomunda.
23. 29.05.2019- Legal Awareness Camp at Chihutiyan, Mohanpur.
24. 29.05.2019- Legal Awareness Camp at Fatehpur, Lekha, Mohanpur.

<u>Activities at Mediation Centre for the month of May, 2019</u>

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Unsettled / No Mediation	Pending
1	May, 2019	53	36	35	43

<u>Activities at Permanent Lok Adalat for the month of May, 2019</u>

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Pending
1	May, 2019	-	-	60

Permanent Lok Adalat is vacant from 01.08.2016.

Sincerely yours,
Sd/-
Secretary ,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

Encl: - Photo copy of news paper cuttings.

अधिकार हासिल करने को आगे आएं

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम, असंगठित मजदूरों को दी गई कानून की जानकारी

जागरण टीम देवघर : अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बुधवार को सत्संग स्टेशन के समीप नालसा स्कीम के तहत असंगठित मजदूरों को कानूनी जानकारी दी गई। सिविल जज सह डालसा के सचिव सचिंद्र कुमार बिरुआ ने डालसा से मिलने वाली सुविधाओं व कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जो श्रमिक निबंधन करा लेते हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगता है। कहा कि जो निबंधन नहीं कराते हैं उन्हें सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल नहीं मिलता है। इसीलिए सभी श्रमिकों को पंजीयन कराना आवश्यक है। कहा कि कोई भी मजदूर खुद को कमजोर व असहाय नहीं समझें।

डालसा के स्तर से कानूनी समस्याओं के जरिए मामलों को निष्पादित कराने का प्रावधान है और इसके लिए निःशुल्क वकील भी मुहैया कराया जाता है। इसलिए मजदूरों को यह समझना होगा कि वे पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित नहीं रहेंगे। प्रशिक्षु न्यायविद परीक्षित भारतीय संविधान के स्वतंत्रता समानता बंधुत्व एवं श्रम कानून से संबंधित कई बातों की जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता सत्यनारायण पांडे ने श्रम कानून से संबंधित कई अहम जानकारी देते हुए मजदूरों को हक व अधिकार हासिल करने के लिए प्रेरित किया। असंगठित मजदूर के जिला अध्यक्ष संजय मंडल, सुबोध प्रसाद राय समेत कई वक्ताओं ने भी अपना विचार व्यक्त किया। मौके पर डालसा के सहयोगी संजय कुमार सिन्हा, प्रदीप कुमार के अलावा काफी संख्या में मजदूर मौजूद थे।

मजदूर दिवस मनाते श्रम संगठन ● जागरण

संस, चितरा (देवघर) : अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर एसपी माइंस में कार्यरत एटक से संबद्ध यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन व सीटू ने धूमधाम से मजदूर दिवस मनाया। इस अवसर पर नुक्कड़ सभा भी की गई।

एसपी माइंस के ऐतिहासिक घटना पर यूसीयूडब्ल्यू संगठन के केंद्रीय महासचिव पशुपति कोल ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अपने अधिकार के प्रति श्रमिक सचेत रहें। कहा कि उन्हें जो भी अधिकार मिला है वह पूर्वजों की देन है। वर्ष 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर और मालिकों के बीच संघर्ष नहीं होता तो आज भी हमारी वही स्थिति रहती जो दो शताब्दी पूर्व थी। इस घटना में शहीद हुए अपने पूर्वज श्रमिकों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना ही मई दिवस का उद्देश्य है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं वह कोयला जगत के श्रमिकों के प्रतिकूल है। केंद्र सरकार की नीति मजदूर विरोधी है। क्षेत्रीय सचिव केएन सिंह, सहायक सचिव होपना मरांडी, सीटू के सचिव रामदेव सिंह ने भी अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मजदूर अपने हक व अधिकार को सजग करने के लिए सचेष्ट हों। मौके पर हरि बोल महतो, विदेशी कोल, सुधीर मल्लिक, सिराजुद्दीन अंसारी, सजनी किस्कू, हेना हेम्ब्रम, मुनेश्वर मांझी समेत कई मौजूद थे।

गांधी चौकपर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोग ● जागरण

संस, चितरा : क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में मजदूर दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जीएम आरआर अमिताभ ने कहा कि देश की तरक्की में नव रत्न कंपनी कोल इंडिया का अहम योगदान है। इसके गौरव पूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए हम सभी कर्मी जी जान से जुटे रहे। बताते चलें कि समारोह का आगाज जीएम अमिताभ ने ध्वजारोहण के साथ किया। उन्होंने सबों को मजदूर दिवस की बधाई दिया। कहा कि हम सबों को गर्व होना चाहिए हम कोयला जगत के श्रमिक है। कोयला खनन कर कोल इंडिया राजस्व के रूप में सलाना अरबों रुपए केंद्र सरकार को अदा करती है। यह सब कोयला जगत के कामगारों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। वित्त वर्ष 2018 19 में हम सबों के कड़े मेहनत से कोलियरी ने 270 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया। इस तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम सभी देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है चालू वित्त वर्ष में कोलियरी परिवार के सभी सदस्यों के कड़ी मेहनत से यह मुनाफे का यह आंकड़ा पार कर जाएंगे। इसके पूर्व प्रबंधक एके सिंह ने सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा के बधाई संदेश को सबों के बीच रखा। जिसमें बताया गया कि ईसीएल ने 50.38 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया।

प्रभात खबर 15.5.19

15.05.19

केंद्रीय कारा के पीएलवी का प्रशिक्षण शुरू

देवघर. केंद्रीय कारा देवघर में चयनित पुरुष व महिला पीएलवी का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में किया गया. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिंद्र बिरुआ ने कहा कि कारा में बंद सैकड़ों बंदियों के बीच उन्हें कानूनी सहायता देना है. महिला बंदियों को कानूनी सहायता देने के लिए दो व पुरुष बंदियों के लिए दो पीएलवी का चयन हुआ है. इन चारों पीएलवी को बेहतर तरीके से कैसे कानूनी सहायता पहुंचायी जाये, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है. पीएलवी के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन के तौर पर एफ करीम, संजय कुमार मिश्र, निलांजन गांगुली को चयनित किया गया है. पहले दिन तीन सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया. प्रथम सत्र में सचिव ने संविधान के बारे में जानकारी दी जबकि अन्य रिसोर्स पर्सन ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, पीएलवी के रोल व क्रिमिनल लॉ के बारे में जानकारी दी. इस शिविर का समापन 16 मई को होगा.

प्रभात खबर 16.5.2019

केंद्रीय कारा में पीएलवी को दिया गया प्रशिक्षण

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में केंद्रीय कारा में चल रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन भी पीएलवी को प्रशिक्षण दिया गया. डालसा की ओर से अधिकृत रिसोर्स पर्सन द्वारा फैमिली से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम व बुजुर्गों के कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी. केंद्रीय कारा में दो महिला बंदी व दो पुरुष बंदी को पीएलवी के रूप में चयनित किया गया है जो बंदियों को कानूनी सहायता देने का काम कर रहे हैं.

Dainik Jagaran 26/5/19

सुलह के आधार पर निपटाए गए मामले

लोक अदालत में डेढ़ दर्जन मामलों का किया गया निष्पादन

लोक अदालत में मामलों का निष्पादन करते न्यायविद • जागरण

संवाद सूत्र, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को न्याय सदन परिसर में बिजली, वन, पारिवारिक विवाद, बीमा दावा, चेक बाउंस, बैंक से संबंधित मामले एवं अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े डेढ़ दर्जन मामलों का निष्पादन सुलह के आधार पर किया गया। मामलों को निष्पादित करने के लिए तीन बेंच बनाए गए थे।

प्रथम बेंच में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद नसरुद्दीन, न्यायिक दंडाधिकारी परीक्षित पैनल अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा, बेंच नंबर दो में एसडीजेएम कमल रंजन, पैनल अधिवक्ता के रूप में एफ मरीक व उत्तम कुमार सिंह तथा तीसरे बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी अजय विशु मिंज, पैनल अधिवक्ता राजकुमार शर्मा व अरुण कुमार सिंह शामिल थे। डालसा के सचिव संदिग्ध कुमार बिरुआ ने कहा कि प्राधिकार आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों को सुलह के आधार पर निपटाने का काम करेगी।

मासिक लोक अदालत में 22 मामलों का निष्पादन

लोक अदालत

- व्यवहार न्यायालय में क्रिमिनल कंपाउंडेड से जुड़े दो केस निष्पादित
- रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी ने की 10 हजार नौ सौ रुपये की रिकवरी

संवाद सूत्र, मधुपुर (देवघर) : अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह और समझौता के आधार पर कुल 22 मामलों का निष्पादन किया गया। व्यवहार न्यायालय में क्रिमिनल कंपाउंडेड मामलों से जुड़ा दो केस का निष्पादन किया गया। जबकि रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में 22 मामलों का निष्पादन कर 10 हजार 900 राशि रिकवरी की गई। मौके पर अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कुशेश्वर सिंह, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार प्रजापति, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, गौतम गोविंदा, समेत अधिवक्ता मौजूद थे।

प्रभात खबर 26/5/19

राष्ट्रीय लोक अदालत में 24 मामलों का हुआ निष्पादन

लोक अदालत में एसडीजेएम व अधिवक्ता.

प्रतिनिधि ▷ मधुपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार व अनुमंडल विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया. जिसमें सुलह समझौता के आधार पर 24 मामलों का निष्पादित किया गया. 22 मामले रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार प्रजापति के अदालत में निष्पादित हुए. साथ ही अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुशेश्वर सिंकु के अदालत में अपराधिक के दो मामलों का निष्पादन किया गया. दोनों मामलों में 10 हजार 900 राजस्व की भी उगाही की गयी. लोक अदालत को लेकर छह बेंच बनाया गया था. बेंच संख्या एक में एसडीजेएम कुशेश्वर सिंकु, अधिवक्ता सदानंद भैया व सुधांशु शेखर, बेंच संख्या दो में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार प्रजापति, अधिवक्ता खालीद जमा खान व हरि महतो, बेंच संख्या तीन में न्यायिक दंडाधिकारी गौतम गोविंदा, अधिवक्ता अरुण महरा व पंचम राय, बेंच संख्या चार में न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार, अधिवक्ता रूपेश नारायण सिन्हा व जमील अनवर, बेंच संख्या पांच में न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार, अधिवक्ता विनय कुमार सिन्हा व बाल किशोर दास, बेंच संख्या छह में एसडीओ योगेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता प्रणय कुमार सिन्हा व ललित कुमार मौजूद थे. मौके पर अधिवक्ता पीएम जिलानी, अरुण सिंह, मुन्ना सिंह, दीपक कुमार, एसएन सहाय, उदय कुमार सिन्हा, परमेश्वर हांसदा आदि मौजूद थे.

Dainik Jagaran 27/5/19

लाचार बंदियों को मिलती निशुल्क मदद

बंदियों को जानकारी देते न्यायविद • जागरण

संसू, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को केंद्रीय कारा परिसर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं बंदियों को कानूनी जानकारी दी गई। डालसा के सचिव सच्चिद कुमार बिरुवा ने कहा कि जिस बंदी के पास अपना केस लड़ने के लिए वकील नहीं है उन्हें डालसा के द्वारा निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बंदियों को डालसा के माध्यम से मिलने वाली अन्य कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा के बारे में भी जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने भी बंदियों को कानून से संबंधित कई जानकारी दी। मौके पर केंद्रीय कारा के काराधीक्षक कुमार चन्द्रशेखर, उप कारापाल मनोज गुप्ता के अलावा पैनल अधिवक्ता पारा लीगल वालंटियर तथा डालसा के कर्मी मौजूद थे।

प्रभात खबर 27/5/19

विधिक जागरूकता शिविर में कानूनी जानकारी देते एसडीजेएम.

कैदियों को दी गयी कानूनी जानकारी

मधुपुर. मारगोमुंडा प्रखंड के चेतनारी स्थित मधुपुर उपकारा परिसर में रविवार को कैदियों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार व अनुमंडल विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में कैदियों को बताया गया कि वे लोग कैसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने को लेकर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अन्य तरह की सहायता प्राप्त कर सकते हैं. शिविर में कानून की विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गयी. मौके पर एसडीजेएम कुशेश्वर सिंकु ने कहा कि शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन करना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना और विवाद निपटाने के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहित करना है. मौके पर

जेल अदालत / लोक अदालत : 25/26.5.1

प्रभात खबर
25.5.19

जेल अदालत 25 को केंद्रीय कारा में

देवघर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में केंद्रीय कारा में दिन के 11 बजे से जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा. इसमें बंदियों के आवेदनों की सुनवाई होगी व उचित निर्देश दिया जायेगा. जेल अदालत के बाद बंदियों को कानूनी जानकारी दी जायेगी. इसकी तैयारी कर ली गयी है.

Dainik Jagaran – 01/6/2019

महिलाओं के अधिकार की दी जानकारी

संप्रेक्षण गृह में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में जानकारी देते न्यायविद् • जागरण

संवाद सूत्र, देवघर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण पांडे के आदेश के आलोक में बाल संप्रेक्षण गृह में शुक्रवार को कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं शिक्षाप्रद कहानियां, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, बाल हंस, बाल भारती, चंपक हितोपदेश जैसे 25 ज्ञान की पुस्तकें छात्राओं के बीच शारीरिक व मानसिक विकास के लिए वितरित किया गया। मौके पर सिविल जज सह डालसा के सचिव सचिद्र कुमार बिरुआ ने बाल विवाह एवं भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के अधिकार एवं अन्य नीतिपरक बातों को रखा। कहा कि 18 वर्ष से कम लड़की का उम्र तथा 21 से कम उम्र लड़के की शादी होना बाल अपराध है। इसके लिए दंड का प्रावधान है। इस बाल विवाह में शामिल सभी लोगों को दो वर्ष की कैद तथा एक लाख जुर्माना का प्रावधान है। वरीय अधिवक्ता राजकुमार शर्मा, रिटेनर अधिवक्ता सत्यनारायण पांडेय, अधिवक्ता कौशल कुमार ने कानून से संबंधित विचार रखे। मौके पर संप्रेक्षण गृह की महिला पदाधिकारी, डालसा के सहयोगी संजय सिन्हा, प्रदीप सिंह उपस्थित थे।

दैनिक जागरण 1/6/19

सा ने सम्प्रेषण गृह में बांटी शिक्षाप्रद पुस्तकें

ीवन में विकृतियों से चना जरूरी : बिरुआ

प्रतिनिधि

में विकृतियों से बचना जरुरी है। लिए शिक्षा आवश्यक है। झूठे नों और सिनेमाई जीवन से त होकर गलत निर्णय करने में में अशांति आती है। उपर्युक्त देवघर जिला विधिक सेवा र के सचिव शचीन्द्र बिरुआ ने सम्प्रेषण गृह में आयोजित पुस्तक -सह-विधिक जागरुकता को संबोधित करते हुए कहीं। होंने बाल विवाह कानून सहित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार र्देश पर जिला विधिक सेवा र के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला न्यायाधीश जेपी एन पांडेय की में आयोजित कार्यक्रम को न करते हुए डालसा के रिटेनर-ल अधिवक्ता राज कुमार शर्मा कि जीवन के विकास के लिए होना जरुरी है। उन्होंने जीवन में ी आवश्यकता एवं विधिक सेवा र के स्वरुप, कार्य व महत्व पर

देवघर में सोमवार को सम्प्रेषण गृह में डालसा की ओर से पुस्तकों का वितर डालसा के सचिव शचीन्द्र बिरुआ व अन्य।

विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सम्प्रेषण गृह भी सुधार गृह है, जहां अच्छी पुस्तकों से प्रेरणा लेकर आत्मिक उन्नयन किया जा सकता है। अच्छी पुस्तकें अच्छा चिंतन बनाने में मदद करती हैं। समारोह को संबोधित करते हुए अधिवक्ता सत्य नारायण पांडेय ने नारी की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि आदर्श नारी ही परिवार के विकास की आधारशिला होती है। समारोह को अधिवक्ता कौशल कुमार ने भी संबोधित किया। मौके पर सम्प्रेषण

गृह की गृहपति नन्दिता कुमा कर्मी संजय कुमार समेत ब सम्प्रेक्षण गृह की बालिका थीं। सचिव शचीन्द्र बिरुअ कि वितरित की गई पुस्तकों शिक्षाप्रद कहानियां, बॉयोलॉजी, रसायन विज्ञ विज्ञान, नन्हें सम्राट, जातक कथाएं सहित प्रति से संबंधित पत्रिकाएं श स्वस्थ मनोरंजन के साथ विकास में सहायक होंगी